कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी, जिला धमतरी (छ0ग0)
// विज्ञापन //

कमांक 1511/दो–11–09/2006 धमतरी, दिनाँक 18/07/2023

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि – 28/07/2023 संध्या 05:00 बजे आवेदन पत्र जिला न्यायालय धमतरी में निर्धारित ड्राप बाक्स के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी के स्थापना में निम्नानुसार **आकस्मिक निधि से (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारी माली, वाटरमेन, चौकीदार एवं स्वीपर** के रिक्त पदों की सीधी भर्ती की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि में आमंत्रित किये जाते है, जिसके अनुसार विज्ञापित पदों एवं वर्गवार पद निम्नानुसार हैः–

रिक्त पदों का विवरण

क.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित			
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग							
			मुक्त	महिला	भू.पू.सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सैनिक	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	आकस्मिक निधि से (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारी माली, वाटरमेन, चौकीदार एवं स्वीपर	माली – 6 वाटरमेन– 4 चौकीदार–6 स्वीपर– 5	2	–	–	–	6	2	–	–	2	–	–	–	6	2	–	1
	योग	21	2	–	–	–	6	2	–	–	2	–	–	–	6	2	–	1

महत्वपूर्ण टीप :–

1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
2. पदो के संबंध में विज्ञापन/भर्ती कार्यवाही आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के **एस. एल.पी. (सी) कमांक –19668/2022** में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षित है। ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी है, उनके द्वारा अन्य राज्य

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी उन्हें विज्ञापित पद के विरूद्ध अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के रूप में विचार किया जावेगा, आरक्षित पद के विरूद्ध नही।

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

(1) माली/वाटरमेन/चौकीदार/स्वीपर के पद के लिए--

अ– शैक्षणिक योग्यता:–

1. प्राथमिक शाला (कक्षा पांचवी) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। (आठवीं कक्षा से उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थियों को पात्रता नहीं होगी।)
2. आवेदित पद से संबंधित कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करे।

नोट:– माली/वाटरमेन/चौकीदार/स्वीपर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्होने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी/संस्था का प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो, लेकिन यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवा तत्काल बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी एवं उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को चयन में कोई प्राथमिकता नहीं दी जावेगी।

3. यदि किसी कार्य में विशेष योग्यता रखते हो तो विशेष योग्यता जैसे–ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर एवं बढ़ई इत्यादि का प्रमाण–पत्र भी संलग्न करें।
4. सभी अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ अधिकतम शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंध में विज्ञापन के साथ दिये गये निर्धारित प्रपत्र में अपना 'शपथ पत्र' प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. सभी अभ्यर्थी आवेदन करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनकी योग्यता कक्षा 8 वीं से अधिक नहीं है, और यदि जांच मे यह पाया जाता है कि उसने झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, तो उसकी पात्रता बिना सूचना दिये समाप्त की जा सकेगी और झूठा शपथ पत्र पेश करने का आपराधिक प्रकरण संस्थित किया जा सकेगा।
6. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता से संबंधित निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत नही करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा और किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नही किया जाएगा।

–:: आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें ::–

(1) **आयु सीमा–**

(अ)प्रत्येक अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 01.01.2023 को 18 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर किमिलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ब) आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होंगे। यदि अभ्यर्थी कोई छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम के संबंध में स्पष्ट करते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

(2) <u>उच्चतर आयु सीमा में छूटः–</u>

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगीः–

2 (एक) (1)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जावेगी।

2 (एक) (2)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–7–25–93/1 आ.प्र. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जावेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को किमीलेयर के अंतर्गत नही होना चाहिए।

2 (एक) (3)– छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कंटीजेन्सी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलो आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी, यही अधिकतम आयु परियोजना कियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य रहेगी।

2 (एक) (4)– ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, परंतु उसके परिणाम स्वरूप अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>स्पष्टीकरणः–</u> छटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है, जो राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराये या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया है।

2 (एक) (5)– ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किन्तु उसके परिणाम स्वरूप जो योग निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2 (एक) (6)– महिलाओं के आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष से शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

2 (एक) (7)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी।

2 (दो) (1)– आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कार दंपतियों के संवर्ण सहभागीय को सामान्य प्रशासन विभाग के कमांक सी 3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

2 (दो) (2)– विकम पुरस्कार सहित राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधूर सम्मान , महाराज प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ–19–2/2005/1–3 दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

2 (दो)(3)– उत्कर्ष खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ–6–10/2004/1–9, दिनांक 06 जुलाई 2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप– **(1)** बिंदू कमांक 4 (एक) में अधिकतम लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिंदू कमांक 4 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्य /योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन

वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दू कमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

<u>उदाहरणः–</u> यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग, विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो, तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी, विक्रम पुरस्कार के आधार पर 5 वर्ष की छूट और दी जावेगी, अंतरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जावेंगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयु की सीमा मे छूट का लाभ दिया जा सकेगा, अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जावेगी।

यदि कोई अभ्यर्थी आयु संबंधी छूट लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देषों का उल्लेख एवं नियम बताते हुए दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। उक्त संबंध में अंतिम निर्णय समिति द्वारा लिया जावेगा।

(3) **अन्य शर्तेः–**

(1) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
(2) रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए।
(कार्यरत शासकीय सेवकों के लिये लागू नहीं है)

(4) (अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति का पात्र नही होगा।
(ब) कोई भी उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पति/पत्नि जीवित है, नियुक्ति के लिये पात्र नही होंगे।

(5) जिस श्रेणी के उम्मीदवारों में महिला एवं दिव्यांग के पद आरक्षित है, यदि उक्त पद पर उसी श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नही पाये जाने पर उस श्रेणी के मुक्त पदों से वरियता के आधार पर चयन किया जायेगा।

(7) दिव्यांग का पद अस्थी बाधित हेतु आरक्षित है। अतएव अभ्यर्थी का 40% स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र या उससे अधिक होने पर ही प्रमाण पत्र पर विचार किया जावेगा।

(8) दिव्यांग अभ्यर्थी को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(9) चयनित उम्मीदवारों को धमतरी जिले के बाहृय न्यायालयों में भी नियुक्ति की जा सकेगी।

(10) चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उनकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।

(11) उपरोक्त पदों की भर्ती प्रकिया/चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(12) आवेदन करने की तिथि में रोजगार पंजीयन एवं अन्य दस्तावेज जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।

(13) जो अभ्यर्थी शासकीय/अर्धशासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपकम में कार्यरत है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी **अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र** आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(14) कोई पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नही होगा, परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(15) कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया

1. आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र दिनॉक **28.07.2023** की संध्या 5:00 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर बायी ओर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम माली, वाटरमेन, चौकीदार एवं स्वीपर आकस्मिक निधि से (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद पर सीधी भर्ती पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र पर लिखा हो, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी (छ0ग0) के कार्यालय में रखे ड्राप बॉक्स पर न्यायिक कार्य दिवस पर डाले जा सकेंगे। दिनॉक **28.07.2023** की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों एवं पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, रोजगार आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा।

2. विज्ञापन व आवेदन पत्र का प्रारूप जिला न्यायालय के वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/dhamtari से डाउनलोड किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

3. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण अथवा प्राथमिक शाला/पूर्व माध्यमिक शाला परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

4 **अभ्यर्थी आकस्मिक निधि के (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारी माली, वाटरमेन, चौकीदार एवं स्वीपर के पद हेतु एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। एक से अधिक पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रस्तुत सभी आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।**

5. आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनॉक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिये तथा पहचान के रूप में **आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड की कोई एक स्वप्रमाणित छायाप्रति** संलग्न करें।

6. बिना हस्ताक्षर के प्रेषित आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा।

7. आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण भरें। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा किसी भी प्रकार की अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

8. आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है।

9. अभ्यर्थी किसी शासकीय वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो तथा किसी न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित न हो तथा किसी आपराधिक प्रकरण में दण्डित न किया गया हो।

10. आवेदन पत्र में आवेदक मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई–डी भी उल्लेख करेंगे। यदि दिये गये मोबाईल नंबर इत्यादि में कोई त्रुटि होने के कारण सम्पर्क नही होता है तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

11. आवेदक, आवेदन पत्र का सम्पूर्ण इन्द्राज नीले बॉल पेन/डॉट पेन से ही करेगा, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।

12. विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जावेगा।

13. त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा। जिसकी सूचना आवेदक को देने हेतु बाध्यता नही रहेगी।

14. आवेदन पत्रों की छटनी उपरांत पात्र/अप्रात्र उम्मीद्वारो की सूची पृथक–पृथक जिला न्यायालय के वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/dhamtari एवं कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जावेगी।

15. दावा आपत्ति 05 दिवस के भीतर संबंधित दस्तावेज के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। विलंब से प्रस्तुत दावा आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

16. एक ही लिफाफे में एक से अधिक आवेदन प्रेषित किये जाने पर किसी भी पद के लिये स्वीकार नही किया जावेगा।

17. कोविड–19 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देश लागू व मान्य होगा। उम्मीद्वारों से अपेक्षा की जाती है कि वे समय–समय पर जिला न्यायालय के वेबसाईट https:// districts.ecourts.gov.in/ dhamtari का अवलोकन करते रहेगें।

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

<u>नियुक्ति हेतु चयन प्रकिया</u>

कक्षा 5 वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जायेगी, जिनमें से वरीयता के आधार पर कुल रिक्त पदों के प्रथम 30 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जायेगा। 5 वी कक्षा के अंकों के आधार पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए 30 गुना से अधिक कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जा सकता है। उक्त पद के लिए **प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा में उपुयक्तता/शारीरिक क्षमता/व्यवहारिकता और व्यक्तित्व एवं कार्य** हेतु उनकी अभिरूचि के संबंध में परखा जाएगा। **कौशल परीक्षा 50 अंको की होगी।**

<u>चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची</u>

कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की वर्गवार चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। **<u>यदि चयनित अभ्यर्थी, चयनित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के 01 वर्ष के भीतर पद से त्यागपत्र देता है या उसे पदमुक्त कर दिया जाता है या मृत्यु या अन्य कारणों से उक्त पद रिक्त हो जाता है तो उक्त पद को रिक्त मानते हुए प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों को उक्त पद हेतु कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।</u>**

2. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, अर्थात् जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस आवेदक का नाम प्रथम आएगा, उनका चयन किया जावेगा।

3. चयनित उम्मीदवार की सर्वप्रथम अंतिम सूची (Provisional List) तैयार की जावेगी, जिसका प्रकाशन कार्यालय के वेबसाईट https:// districts.ecourts.gov.in/ dhamtari एवं कार्यालय की सूचना पटल में किया जावेगा। चयनित उम्मीदवार के प्रमाण पत्रों के संबंध में यदि किसी को दावा/आपत्ति हो, तो 05 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा। उक्त समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नही है।

4. तत्पश्चात् चयनित उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय में चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा, तथा आरक्षित वर्ग में चयनित उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ0ग0 रायपुर से किये जाने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा। प्रमाण पत्रों की जाँच में विपरीत टिप्पणी प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

5. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी को होगा।

<u>अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी</u>

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये, आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जावेगा।

<u>महत्वपूर्ण निर्देश :–</u>

1. **सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र कमांक 1269/23/मु.म.नि./2014/1–7, दिनाँक 23.08.2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।**

2. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।

4. चयनित उम्मीदवार का, जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हों, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा। आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

5. चयन प्रकिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

6. उक्त नियुक्ति, आरक्षण के संबंध में माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पिटीशन कमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन, की जावेगी।

7. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताए, किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

8. जो अभ्यर्थी चयन प्रकिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।

9. आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/dhamtari से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित होगा। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा कर एवं स्वहस्ताक्षरित कर, प्रस्तुत करना होगा। **साथ ही अभ्यर्थी, स्वयं के पहचान संबंधी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वाहन चालन लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र अथवा पैनकार्ड की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवें, अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जावेगा।**

10. कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नही होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

11. प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत, पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय की वेबसाईड https://districts.ecourts.gov.in/dhamtari पर अपलोड किया जावेगा तथा सूचना पटल पर चस्पा किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक 05 दिवस के भीतर स्वतः आकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात् वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।

12. आवेदक परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिये निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे, विलम्ब से उपस्थित होने पर कौशल परीक्षा में शामिल नही किया जायेगा।

महत्वपूर्ण टीपः–

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते है। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नही होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

धमतरी–
दिनाँक – 18/7/23

18/7/23
अध्यक्ष
भर्ती / चयन समिति
धमतरी छ0ग0

छत्तीसगढ़
रोजगार
समाचार

आवेदन पत्र का प्रारूप

आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी
(माली, वाटरमेन, चौकीदार एवं स्वीपर के पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
धमतरी (छत्तीसगढ़)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक सहित

1. आवेदित पद का नाम :...

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :...

(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) :...

3. लिंग– पुरूष संकेतक–1, महिला संकेतक–2 [ ]

4. पिता/पति का नाम :...

5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :...

(हिन्दी में) :...

:...

(ब) स्थाई पता :...

:...

:...

6. (अ) जन्म तिथि (अंको में) [| | | | | | |]

(शब्दो में) :...

(ब) दिनांक 01/01/2023 को आयु :........................ वर्ष............................माह................दिन

7. आवेदक का मोबाईल नंबर :...

8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हॉ/नही [ ]
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

9. क्या आवेदन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हॉ/नही [ ]
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

10- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें। [ ]

11. क्या आवेदक विकलांग है? हॉ/नही

(यदि हां, तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

12. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :..

13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक [ ] दिनांक [ ]

14. रोजगार कार्यालय का नाम :..

15. क्या आप विवाहित है? हॉ/नही

16. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि

17. जीवित बच्चों की संख्या

क0	नाम	लिंग	जन्म तिथि
1	2	3	4

17. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताः–

क0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक बोर्ड का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णाक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

18. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हॉ/नही
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की

आवेदन पत्र का प्रारूप

आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी
(माली, वाटरमेन, चौकीदार एवं स्वीपर के पद पर नियुक्ति हेतु)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक सहित

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
धमतरी (छत्तीसगढ़)

1. आवेदित पद का नाम :..

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :..
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) :..

3. लिंग– पुरूष संकेतक–1, महिला संकेतक–2 [ ]

4. पिता/पति का नाम :..

5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :..
(हिन्दी में) :..
:..

(ब) स्थाई पता :..
:..
:..

6. (अ) जन्म तिथि (अंको में) [| | | | | | |]
(शब्दो में) :..

(ब) दिनांक 01/01/2023 को आयु :.................. वर्ष.................. माह.............. दिन

7. आवेदक का मोबाईल नंबर :..

8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हॉ/नही [ ]
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

9. क्या आवेदन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हॉ/नही [ ]
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

10- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें। [ ]

—:: शपथ पत्र::—

मै (शपथकर्ता का नाम)..
पिता / पति...जन्मतिथि..........................संवर्ग....................................
निवासी...जिला..का हूँ। जिला एवं सत्र न्यायालय धमतरी की स्थापना द्वारा जारी किये गये विज्ञापन कमांक ..../2023 में आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पदों पर भर्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र के संबंध में निम्नानुसार शपथपूर्वक कथन करता / करती हूँ:—

1. यह कि मेरी शैक्षणिक योग्यता केवल ....कक्षा उत्तीर्ण है। आठवीं से अधिक (उच्च योग्यता) मेरी शैक्षणिक योग्यता नही है।
2. मेरी आठवीं के अंकसूची में मेरा ....अथवा ....ग्रेड अथवा.................. सी0जी0पी0ए0 है। (यदि लागू न हो तो काट दिया जावे।)
3. यह कि मैने आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पदों की भर्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र में शैक्षणिक / तकनीकी / व्यवसायिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया है एवं मेरे द्वारा कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई है।
4. यह कि उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति किसी भी समय समाप्त / निरस्त की जा सकेगी एवं मेरे विरूद्ध आपराधिक / दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा / रहूंगी।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम..

पता..